राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 1044 जयपुर, दिनांक : 23/1/2015

अधिसूचना

सां.आ. 108/2015– यतः राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 के उप नियम (2) एवं (3) के उपबन्धों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रत्येक पंचायत सर्किल के पंचों और सरपंच के निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति को नाम से और उसके पदाभिधान से रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा और रिटर्निंग अधिकारी के अपरिहार्य रूप से उसके कृत्यों के निर्वहन से निवारित हो जाने की दशा में, उस पंचायत सर्किल के लिए नियुक्त किये गये मतदान अधिकारियों में से किसी एक को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा;

यतः उपरोक्त निर्वाचनों में रिटर्निंग अधिकारी की सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है,

यतः कई पंचायत सर्किलों में बहुत अधिक संख्या में वार्ड हैं और एक अकेले व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन निश्चित समय सीमा में करना कठिन होगा और उसकी सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करना वांछित है।

इसी प्रकार नियम 70 (1) में प्रावधान दिया गया है कि, सरपंच के पद का निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी प्ररूप 10 में दो प्रतियों में लिखित किसी पत्र द्वारा दो से अनधिक गणन अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकेगा। जबकि जिन पंचायत सर्किलों में बहुत अधिक संख्या में वार्ड हैं व जिनके सरपंच चुनाव की मतगणना कई मतगणना कक्षों में करवाई जाती है, उनमें दो गणन अभिकर्ताओं द्वारा सम्यक रूप से अपना दायित्व निर्वहन किया जाना कठिन होगा।

अतः पूर्वोक्त नियमों के नियम 91–क द्वारा कठिनाइयों के निराकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में आयोग अपने सां.आ. 15 / 1995 दिनांक 12.1.1995 (आदेश क्रमांक 241 दिनांक 12.1.95) को अधिक्रमित करते हुए एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि, जिन पंचायत सर्किलों के वार्डों की संख्या 20 या अधिक है, उनमें नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए उस पंचायत सर्किल के बूथों के लिए नियुक्त किये गये मतदान अधिकारियों में से प्रत्येक अतिरिक्त 15 वार्ड्स के लिए एक अधिकारी को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा तथा सरपंच पद के अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 2 से अधिक गणना अभिकर्ताओं की संख्या को जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा आवश्यकतानुसार अनुमत किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव
23/1/15

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 1045–48 जयपुर, दिनांक : 23/1/2015

प्रतिलिपि निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
2. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ भेजकर निवेदन है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6 (ग) में तत्काल प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें और अधिसूचना की 50 प्रतियां आयोग को उपलब्ध करावें।
3. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के विशेषांक के भाग 6 (ग) में तत्काल प्रकाशित करें।
4. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।

23.1.2015

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव